


सत्यमेव जयते

भारत का राजपत्र The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY
भाग III—खण्ड 4
PART III—Section 4
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 301]

नई दिल्ली, बृहस्पतिवार, अक्टूबर 30, 2014/कार्तिक 8, 1936

No. 301]

NEW DELHI, THURSDAY, OCTOBER 30, 2014/KARTIKA 8, 1936

भारतीय विधिज्ञ परिषद्,

अधिसूचना,

नई दिल्ली, 29 अक्टूबर, 2014.

17 अक्टूबर 2014 को आयोजित सामान्य परिषद् की बैठक की कार्यवृत्त के अंश

मद संख्या 276/2014

भारतीय विधिज्ञ परिषद् ने भारतीय परिषद् अभ्यास के भारतीय प्रमाण पत्र और नवीकरण नियम 2014 के संबंध में निम्नलिखित संकल्प पारित किया

संकल्प संख्या 169/2014

परिषद् संकल्प पारित करती है कि सर्टिफिकेट ऑफ प्रैक्टिस तथा नवीकरण नियम 2014 उपसमिति द्वारा प्रस्तुत रिपोर्ट को मंजूरी दे दी है को हल करता है।

ये नियम अधिवक्ता अधिनियम 1961 की धारा 49 (1) द्वारा उस पर प्रदत्त शक्तियों (ए. जी.), 49 (ए.एच.) और 49 (i) के व्यायाम में रखा गया है। अभ्यास के भारतीय प्रमाण पत्र और नवीकरण नियम 2014 के शीर्षक से भारतीय विधिज्ञ परिषद् के साथ पार्ट-पांच ए के रूप में जोड़ दिया गया है।

भारतीय विधिज्ञ परिषद् के नियमों के भाग-III के अध्याय में संशोधन का सुझाव देने का अनुरोध किया गया था जिससे आइटम 274/2014 के तहत नकली और फर्जी मतदाताओं के लिए गए निर्णय के अनुसार देखा जाता है मतदाता सूची में अधिवक्ताओं की एक तस्वीर के साथ राज्य विधिज्ञ परिषद् द्वारा तैयार किया जाएगा तदनुसार, उपसमिति मतदाता सूची कार्यालय की सदस्यता और छुट्टी की अयोग्यता की तैयारी सम्मान भारतीय विधिज्ञ परिषद् भाग-III के अध्याय में नियम-1 और नियम-2 में संशोधन करने का सुझाव दिया।

बार काउंसिल ऑफ़ इंडिया सर्टिफिकेट ऑफ़ प्रैक्टिस तथा नवीकरण नियम, 2014

उद्देश्यों तथा तर्कों का विवरण:

विधिक पेशा एक सम्माननीय पेशा है तथा यह लोगों के नागरिक और संवैधानिक अधिकारों की रक्षा करने एवं बढ़ावा देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। एक स्वतंत्र तथा निडर बार सञ्चे तथा स्वस्थ लोकतंत्र को बनाये रखने व बढ़ावा देने के लिए अहम तथा महत्वपूर्ण है। हालाँकि जो बार बाह्य शक्तियों के द्वारा हेरफेर तथा प्रभाव के अधीन होते हैं, वे चाहे जितने शक्तिशाली तथा सम्मानित हों,

उनके द्वारा विधिक पेशे अथवा विधि के शासन के लिए न्याय नहीं किया जा सकता है। बेंच और बार एक ही गाड़ी के दो पहिए हैं तथा एक दूसरे के बिना काम नहीं कर सकते दुख की बात यह है कि इस पेशे की बहुत अवनति हो रही है।

सभी राज्य बार काउंसिल तथा भारतीय बार काउंसिल के प्रतिनिधियों की संयुक्त बैठक में यह चिंता व्यक्त की गयी कि अधिवक्ता अपना पेशा बदल कर अन्य पेशों/सेवाओं/व्यवसायों में राज्य बार काउंसिल को बिना किसी सूचना के लिप्त होते जा रहे हैं और इसका अनुपात चिंताजनक रूप से बढ़ गया है। यह प्रवृत्ति समग्र रूप से विधिक पेशे को खतरे में डाल रही है। इसके कारण इस पेशे की पवित्रता तथा मानकों को भी क्षति पहुंची है। ऐसे अधिवक्ताओं के नाम इस तथ्य के बावजूद, कि उन्होंने विधिक पेशे को छोड़ दिया है अथवा उनका निधन हो चुका है, राज्य बार काउंसिल द्वारा अनुरक्षित "अधिवक्ताओं की सूची" में शामिल हैं। अधिवक्ता अधिनियम की धारा 19 के अंतर्गत, राज्य बार काउंसिल द्वारा धारा 17 के अनुसार तैयार की गयी अधिवक्ताओं की सूची की एक प्रति तथा इसके बाद किये गए परिवर्तन / परिवर्धन भेजने के लिए विधिक दायित्व के अधीन हैं परन्तु व्यावहारिक रूप से किसी राज्य बार काउंसिल ने अब तक अधिनियम के इस अनिवार्य प्रावधान का पालन नहीं किया है।

इन परिस्थितियों में यह प्रवृत्ति निश्चित रूप से प्रदर्शित होती है कि अधिवक्ता अधिनियम के अंतर्गत बार संघों व अन्य निर्वाचित निकायों का नियंत्रण विधिक अभ्यास करने वाले अधिवक्ताओं के हाथ से फिसल रहा है। इसके साथ यह भी अनुभव किया जा रहा है कि किसी अधिवक्ता को नामांकन का प्रमाण पत्र जारी किए जाने के बाद उनके तथा काउंसिल के बीच व्यावहारिक रूप से कोई संचार और सतत संपर्क नहीं रहता है, जब तक कि उनके विरुद्ध कोई शिकायत न दर्ज की जाए।

वर्तमान परिस्थितियों को देखते हुए, भारत के सर्वोच्च न्यायालय के निर्देशों/टिप्पणियों के आधार पर विधिक पेशे के स्तर में सुधार लाने के लिए लागू की गयी अखिल भारतीय बार परीक्षा भी पूरी तरह से अपने उद्देश्य को प्राप्त करने में विफल सिद्ध हुई। राज्य बार काउंसिल के साथ नामांकित अधिवक्ता "अभ्यास का अंतरिम प्रमाणपत्र" (2 वर्षों के लिए वैध) प्राप्त करते हैं एवं तत्पश्चात उनमें से अधिकांश अखिल भारतीय बार परीक्षा अथवा इसको उत्तीर्ण करने की चिंता किये बिना ही विधिक सेवाओं में संलग्न रहते हैं।

राज्य के शासन के साथ ही विभिन्न राज्य बार काउंसिलों तथा भारतीय बार काउंसिल, दोनों के द्वारा भारत में अधिवक्ताओं के लिए विभिन्न कल्याणकारी योजनाएं, प्रारंभ की गयीं, परन्तु इनके लाभ आज उनको भी प्राप्त हो रहे हैं जो इस पेशे को छोड़ चुके हैं।

विभिन्न न्यायालयों में विधिक सेवाएं प्रदान करने के लिए कुछ शर्तें रखने की एक अविलंब आवश्यकता है ताकि अधिवक्ताओं द्वारा अर्जित अनुभव को महत्व तथा विश्वसनीयता प्रदान की जा सके। किसी अधिवक्ता द्वारा उच्च न्यायालयों में विधिक अभ्यास प्रारंभ करने से पहले उसे वास्तविक न्यायालय का अनुभव लेने के लिए निचले न्यायालयों/ट्रायल कोर्ट्स में कार्य करने की आवश्यकता होनी चाहिए। इससे बार की दृष्टि से पूरी न्यायिक प्रणाली को एकीकृत करने में मदद मिलेगी।

इसलिए, अधिवक्ता अधिनियम की धारा 22 के तहत विभिन्न राज्य बार काउंसिल द्वारा अनुरक्षित अधिवक्ताओं की सूची में शामिल अधिवक्ताओं पर स्थानीय बार संघों तथा भारतीय बार काउंसिल द्वारा बेहतर तथा प्रभावी प्रशासनिक तथा अनुशासनात्मक नियंत्रण प्राप्त करने के लिए तथा विधिक पेशा छोड़ चुके अधिवक्ताओं के नाम इससे हटाने के लिए भारतीय बार काउंसिल, अधिवक्ता अधिनियम, 1961 की धाराओं 49(1) (ag), 49 (ah) 49(i) द्वारा प्रदत्त शक्तियों तथा इसे प्रदत्त सक्षम करने वाली अन्य सभी शक्तियों के द्वारा निम्नांकित नियम बना रही है जिसका शीर्षक "बार काउंसिल ऑफ़ इंडिया सर्टिफिकेट ऑफ़ प्रैक्टिस तथा नवीकरण नियम, 2014" है तथा जिसका उद्देश्य उक्त अधिनियम के प्रावधानों और उद्देश्यों को लागू करना है:-

अध्याय |

प्रस्तावना

1. लघु शीर्षक:

इन नियमों को सर्टिफिकेट ऑफ़ प्रैक्टिस तथा नवीकरण नियम, 2014 कहा जायेगा।

2. प्रभाव क्षेत्र:

ये नियम उन सभी अधिवक्ताओं पर लागू होंगे जिनके नाम अधिवक्ता अधिनियम, 1961 की धारा 17 के अंतर्गत, राज्य बार काउंसिल द्वारा अनुरक्षित राज्य की अधिवक्ताओं की सूची में शामिल हैं।

3. प्रारंभ होने की तिथि:

ये नियम, अध्याय — 3 का नियम—7 को छोड़कर, भारत के राजपत्र में इन नियमों के प्रकाशन की तारीख से तत्काल प्रवृत्त होंगे, अध्याय 3 का नियम 7 उस तारीख से प्रवृत्त होगा जिस तारीख में भारतीय विधिज्ञ परिषद, भारतीय राजपत्र में तारीख निश्चित करेगा।

4. परिभाषाएँ:

- (a) **अधिनियम** का मतलब है अधिवक्ता अधिनियम, 1961।
- (b) अधिवक्ता का मतलब है वह अधिवक्ता जिसका नाम अधिवक्ता अधिनियम, 1961 की धारा 17 के अंतर्गत, राज्य बार काउंसिल द्वारा अनुरक्षित राज्य की अधिवक्ताओं की सूची में शामिल है।
- (c) **नामांकन का सर्टिफिकेट** का मतलब है अधिवक्ता अधिनियम, 1961 की धारा 22 के अंतर्गत अधिवक्ता को निर्गत नामांकन का सर्टिफिकेट।
- (d) **सर्टिफिकेट ऑफ़ प्रैक्टिस** उस अधिवक्ता के सम्बन्ध में जिसने शैक्षिक वर्ष 2010 से पहले विधिशास्त्र में स्नातक डिग्री प्राप्त की हो, तथा वह अधिवक्ताओं की सूची में नामांकित हो, इसका अर्थ होगा कि उसे नियम 13 के अंतर्गत सर्टिफिकेट ऑफ़ प्रैक्टिस जारी किया जा चुका है, तथा ऐसे अधिवक्ता के सम्बन्ध में जो विधिशास्त्र शैक्षिक वर्ष 2009-2010 (1 जुलाई, 2009 से 30 जून, 2010) में स्नातक डिग्री कर रहा हो एवं तत्पश्चात जून, 2010 के बारहवें दिन अथवा इसके पश्चात सूची में नामांकित हो, के लिए सर्टिफिकेट ऑफ़ प्रैक्टिस का अर्थ है अखिल भारतीय बार परीक्षा नियम के अंतर्गत जारी किया गया अथवा इन नियमों के नियम संख्या 13 के अंतर्गत निर्गत "सर्टिफिकेट ऑफ़ प्रैक्टिस", स्थिति-अनुसार।
- (e) **प्रैक्टिस कोष** का मतलब है इन नियमों के अंतर्गत राज्य बार काउंसिल द्वारा अपनी ओर से तथा भारतीय बार काउंसिल तथा राज्य बार काउंसिल की क्षेत्रीय सीमाओं के भीतर स्थित विभिन्न बार संघों की ओर से प्राप्त राशि।
- (f) **राज्य बार काउंसिल** का मतलब है अधिवक्ता अधिनियम, 1961 की धारा 3(1)(a) के अंतर्गत परिभाषित (f) राज्य बार काउंसिल।
- (g) **प्रैक्टिस शुल्क** का मतलब है इन नियमों के अंतर्गत देय राशि/ राशियाँ तथा यह राशि समय-समय पर भारतीय बार काउंसिल द्वारा परिवर्तित की जा सकती हैं तथा ऐसे परिवर्तनों के समय परिवर्तित राशि को शुल्क माना जायेगा।
- (h) **बार संघ** किसी विशेष क्षेत्र/कस्बे/शहर में स्थित अधिवक्ताओं का न्यायालय कार्य सम्बन्धी किसी विशिष्ट क्षेत्र/इलाके का संघ, जो या तो सोसायटी पंजीकरण अधिनियम (1860 की अधिनियम सं XXI) के अंतर्गत पंजीकृत हो, अथवा न्यायालयों / न्यायाधिकरण / व्यक्तियों या साक्ष्य लेने के लिए कानूनी तौर पर सक्षम किसी भी अन्य प्राधिकारी, जिनके समक्ष इनके सदस्य विधि प्रैक्टिस करते हों, तथा इसमें विशेष रूप से कानून के विशिष्ट क्षेत्रों में कार्यरत बार संघ शामिल हों, जैसे आयकर, कॉर्पोरेट कानून, केंद्र/राज्य उत्पाद शुल्क कानून आदि तथा इनसे सम्बंधित न्यायालयों / न्यायाधिकरण / व्यक्ति, के क्षेत्राधिकार से सम्बंधित इसका कोई विशिष्ट क्षेत्र/इलाका परिभाषित न हो।
- (i) **"अधिवक्ताओं की सूची"** का मतलब है अधिवक्ता अधिनियम के अंतर्गत परिभाषित "सूची"।
- (j) **"प्रशासनिक समिति"** का मतलब है चुनाव के जरिए राज्य बार काउंसिल द्वारा गठित राज्य परिषद के तीन सदस्यों की समिति, जिसका गठन इन नियमों के तहत इस तरह के कार्यों और कर्तव्यों के निर्वहन के लिए किया गया हो। राज्य बार काउंसिल के कार्य भार के आधार पर एक से अधिक ऐसी समितियाँ हो सकती हैं।
- (k) **प्रैक्टिस न करने वाला अधिवक्ता** उस अधिवक्ता को कहा जायेगा जिसे इन नियमों की नियम संख्या 13 तथा 20.2 के अंतर्गत ऐसा घोषित किया गया हो तथा जिसका नाम नियम 20.4 के अंतर्गत प्रकाशित हो।
- (l) **सभी शब्द और वाक्यांश** जिनका प्रयोग इन नियमों में किया गया है, का तब तक वही अर्थ स्वीकार किया जायेगा जैसा कि अधिवक्ता अधिनियम, 1961 में प्रयुक्त हुआ है, जब तक कि इन शब्दों और वाक्यांशों का प्रयोग जिस सन्दर्भ में किया गया है, उसमें स्पष्टतः इसके विपरीत व्याख्या की गयी हो।

5. **"सर्टिफिकेट ऑफ़ प्रैक्टिस" की आवश्यकता:**

कोई भी अधिवक्ता अखिल भारतीय बार परीक्षा नियमों अथवा इन नियमों के अंतर्गत निर्गत एक वैध सर्टिफिकेट ऑफ़ प्रैक्टिस के बिना विधिक प्रैक्टिस करने का पात्र नहीं होगा।

प्रैक्टिस करने की यह अपात्रता तब से ही प्रवृत्त मानी जाएगी जब ऐसे अधिवक्ता/अधिवक्ताओं के नाम नियम 20.4 के अंतर्गत प्रकाशित किये जायेंगे।

अध्याय II

स्थानीय बार संघ

6. **अधिवक्ताओं को उस बार संघ का सदस्य होना होगा जहाँ वह विधिक प्रैक्टिस करता है:**

- 6.1 कोई अधिवक्ता, जिसने अधिवक्ता अधिनियम, 1961 की धारा 22 के अंतर्गत नामांकन का सर्टिफिकेट प्राप्त कर लिया हो, को आवश्यक रूप से उस बार संघ के सदस्य के रूप में पंजीकरण करना होगा जहाँ वह सामान्य रूप से विधिक प्रैक्टिस करता है अथवा प्रैक्टिस करने की इच्छा रखता है।
- 6.2 किसी मामले में यदि कोई अधिवक्ता प्रैक्टिस के स्थान में परिवर्तन होने के कारण अथवा विधिक क्षेत्र में परिवर्तन के कारण एक बार संघ को छोड़ कर दूसरे बार संघ का सदस्य बनता है, उसे सभी प्रासंगिक व्यौरों के साथ इस तरह के परिवर्तन की सूचना राज्य बार काउंसिल को, जिसका वह सदस्य है, देनी होगी।
बार संघ को छोड़ने तथा दूसरे बार संघ का सदस्य बनने की सूचना स्वतंत्र रूप से उक्त बार काउंसिल को एक महीने के अन्दर देनी होगी।
- 6.3 बार संघों को संबंधित बार काउंसिल, जिसके क्षेत्राधिकार के भीतर वे स्थित हैं, को इन नियमों के अंतर्गत मान्यता प्राप्त करने के लिए आवेदन करना होगा। मान्यता उन बार संघों को प्रदान की जाएगी जो इन नियमों के तहत बार संघ की परिभाषा के अंतर्गत आएँगी।

अध्याय III

उच्च न्यायालयों में विधिक प्रैक्टिस करने के लिए आवश्यक न्यूनतम अनुभव।

7. विभिन्न न्यायालयों में विधिक प्रैक्टिस करने के लिए आवश्यक शर्तें:

- 7.1 कोई अधिवक्ता, जो इन नियमों के प्रवृत्त होने के पश्चात, अधिवक्ताओं की सूची में सर्टिफिकेट ऑफ़ प्रैक्टिस प्राप्त/नवीकृत करके नामांकित हो, उन न्यायालयों में ही विधिक प्रैक्टिस करने के पात्र होंगे जो सेशन न्यायाधीश अथवा जिला न्यायाधीश के समकक्ष हों तथा वे अन्य विशिष्ट क्षेत्रों के न्यायालय जो उन क्षेत्रों के मामलों के मूल क्षेत्राधिकार से सम्बंधित हों एवं इनसे निचले सभी अन्य न्यायालय।
- 7.2 कोई अधिवक्ता, जो इन नियमों के प्रवृत्त होने के पश्चात, अधिवक्ताओं की सूची में नामांकित हो, तथा नियम 7.1 में वर्णित न्यायालयों, ट्रिब्यूनल्स में कम से कम दो (2) वर्ष विधिक प्रैक्टिस कर चुका हो, उच्च-न्यायालय एवं अन्य विशिष्ट क्षेत्रों के न्यायालय जो उन क्षेत्रों के मामलों से सम्बंधित अपीलीय या पुनरीक्षण अधिकार क्षेत्र के हों एवं इनसे निचले सभी अन्य न्यायालयों में विधिक प्रैक्टिस करने का पात्र होगा।
- 7.3 कोई अधिवक्ता, जो इन नियमों के प्रवृत्त होने के पश्चात, अधिवक्ताओं की सूची में नामांकित हो, तथा नियम 7.2 में वर्णित न्यायालयों में कम से कम तीन (3) वर्ष विधिक प्रैक्टिस कर चुका हो, भारत के उच्चतम न्यायालय में विधिक प्रैक्टिस करने का पात्र होगा, इस पर भारत के उच्चतम न्यायालय द्वारा प्रवृत्त सभी अन्य शर्तें लागू होंगी।

अध्याय IV

सर्टिफिकेट ऑफ़ प्रैक्टिस को प्रदत्त/नवीकरण करने के सम्बन्ध में आवेदन/आदेश//आपत्ति याचिका

8. 12 जून, 2010 को अथवा उससे पहले नामांकित अधिवक्ताओं द्वारा "सर्टिफिकेट ऑफ़ प्रैक्टिस" प्रदान करने के लिए आवेदन:

- 8.1 ऐसा कोई अधिवक्ता, जो विधिशास्त्र में स्नातक डिग्री शैक्षिक वर्ष 2009-2010 (1 जुलाई, 2009 से 30 जून, 2010) में पूर्ण कर रहा हो एवं तत्पश्चात जून 12, 2010 अथवा इसके पश्चात "अधिवक्ताओं की सूची" में नामांकित हो, को अखिल भारतीय बार परीक्षा नियम, 2010 के अंतर्गत "सर्टिफिकेट ऑफ़ प्रैक्टिस" के निर्गमन के लिए आवेदन करना आवश्यक होगा तथा इस "सर्टिफिकेट ऑफ़ प्रैक्टिस" के नवीकरण के लिए जिस राज्य बार काउंसिल के अधीन वह नियम 9 के अंतर्गत नामांकित है, से आवेदन करना होगा।
- 8.2 ऐसा कोई अधिवक्ता, जिसने विधिशास्त्र में स्नातक डिग्री शैक्षिक वर्ष 2010 से पहले पूर्ण की हो एवं वह "अधिवक्ताओं की सूची" में नामांकित हो, को इस "सर्टिफिकेट ऑफ़ प्रैक्टिस" के निर्गमन के लिए जिस राज्य बार काउंसिल के अधीन वह अधिवक्ता के रूप में नामांकित है, से इन नियमों के प्रवृत्त होने के/नामांकन तिथि के 6 महीने की अवधि के अन्दर आवेदन करना होगा।

- 8.3 सर्टिफिकेट ऑफ़ प्रैक्टिस के निर्गमन का प्रत्येक आवेदन फॉर्म A में दिए गए निर्धारित प्रारूप में प्रस्तुत किया जायेगा जो इन नियमों के साथ परिशिष्ट में दिया गया है तथा जिसमें राज्य बार काउंसिल, जिसके अंतर्गत वह नामांकित है, को सभी आवश्यक सूचनाएं प्रकट करना अनिवार्य है।
- 8.4 ऐसे प्रत्येक आवेदन के साथ निम्नलिखित दस्तावेज़, प्रमाणपत्र, कथन तथा शुल्क आदि संलग्न किये जायेंगे:-
- “प्रैक्टिस शुल्क” रु. 500/- (रूपये पाँच सौ मात्र) की राशि जो कि बैंक ड्राफ्ट/अकाउंट पेयी बैंक चेक के द्वारा निम्नलिखित अधिकारियों के नाम देय होगी:-
 - रुपये 400/- (रुपये चार सौ मात्र) की राशि सचिव, राज्य बार काउंसिल, जिसके साथ आवेदक नामांकित है, के नाम;
 - रुपये 100/- (रुपये एक सौ मात्र) की राशि सचिव, भारतीय बार काउंसिल के नाम।
 - इन नियमों के साथ परिशिष्ट में दिये गये फॉर्म बी/ब के अनुसार निर्धारित प्रारूप में घोषणा पत्र;
 - पासपोर्ट आकार के दो फोटो; जिन्हें बार संघ, जिसका आवेदक सदस्य हो, के अध्यक्ष / सचिव अथवा संघ के किसी भी अन्य पदाधिकारी द्वारा, जो इस उद्देश्य के लिए बार संघ द्वारा अधिकृत हो, अथवा राज्य बार काउंसिल के सदस्य द्वारा विधिवत अभिप्रमाणित किया गया हो।
 - फॉर्म सी/स के अनुसार निर्धारित प्रारूप में अध्यक्ष/सचिव अथवा संघ के किसी भी अन्य पदाधिकारी द्वारा, जो इस उद्देश्य के लिए बार संघ द्वारा अधिकृत हो, जिसका कि आवेदक सदस्य हो, द्वारा जारी सर्टिफिकेट, इस आशय के साथ कि आवेदक अधिवक्ता उक्त बार संघ का प्रमाणिक सदस्य है तथा उसने विधिक प्रैक्टिस छोड़ी नहीं है।
- यदि आवेदक अधिवक्ता अधिनियम, 1961 की धारा 22 के अंतर्गत नामांकन सर्टिफिकेट के निर्गमन के समय से विभिन्न समय में अलग-अलग बार संघों का सदस्य रहा हो, ये सर्टिफिकेट उन बार संघों के अध्यक्ष/सचिव से प्राप्त किये जा सकते हैं जिनका कि समय-समय पर आवेदक सदस्य रहा हो।
- यदि अधिवक्ता अधिनियम, 1961 की धारा 22 के अंतर्गत नामांकन सर्टिफिकेट आवेदन की तिथि से पाँच (5) वर्ष से अधिक समय पूर्व जारी किया गया हो, ऐसे सर्टिफिकेट को पाँच (5) वर्षों की अवधि के लिए ही सीमित किए जाने की आवश्यकता है।
- 8.5 उक्त आवेदन सभी उपरोक्त दस्तावेजों के साथ आवेदक द्वारा राज्य बार काउंसिल में व्यक्तिगत रूप से उचित पावती प्राप्त करते हुए दाखिल किया जा सकता है अथवा इसे पंजीकृत डाक द्वारा सचिव को भेजा जा सकता है अथवा इसे बार संघ, जिसका कि आवेदक सदस्य हो, के जरिये भेजा जा सकता है।

9. सर्टिफिकेट ऑफ़ प्रैक्टिस के नवीकरण के लिए आवेदन:

- 9.1 किसी अधिवक्ता को इन नियमों की धारा 13 के अंतर्गत अथवा अखिल भारतीय बार परीक्षा नियम के अंतर्गत निर्गमित तथा नवीकृत सर्टिफिकेट ऑफ़ प्रैक्टिस, पाँच (5) वर्ष के लिए वैध होगा तथा इसे प्रत्येक पाँच (5) वर्ष में, “सर्टिफिकेट ऑफ़ प्रैक्टिस” की वैधता अथवा इसके नवीकरण की वैधता के समाप्त होने के छः (6) माह पूर्व अग्रिम रूप से नवीकरण का आवेदन दाखिल करके नवीकृत कराना होगा।
- 9.2 नवीकरण के ऐसे सभी आवेदन फार्म डी/ड में दिए गए निर्धारित प्रारूप में प्रस्तुत किए जाएंगे जो इन नियमों के साथ परिशिष्ट में दिया गया है तथा इनके साथ वे सभी दस्तावेज़, प्रमाणपत्र, कथन तथा शुल्क आदि लगाये जायेंगे जैसा कि नियम 8.4 के खंड (i), (ii) और (iv) में वर्णित है तथा इन्हें नियम 8.5 में वर्णित रूप से दाखिल किया जा सकता है।

10. विलंब शुल्क के साथ विलंबित आवेदन:

“सर्टिफिकेट ऑफ़ प्रैक्टिस” के निर्गमन/नवीकरण के सभी आवेदन जो कि इस नियमावली के नियम 8/नियम 9.1 के द्वारा तय समय-सीमा के पश्चात दाखिल किये जायेंगे, उनको कार्यालय/सचिव के द्वारा विलम्ब शुल्क की राशि रु. 50/- (रुपये पचास मात्र) के बिना स्वीकार नहीं किया जायेगा तथा ऐसे विलंबित आवेदनों पर छः (6) माह के पश्चात ही विचार किया जायेगा।

11. जुमाने के साथ नवीकरण हेतु विलंबित आवेदन:

“सर्टिफिकेट ऑफ प्रैक्टिस” के निर्गमन/नवीकरण के सभी आवेदन जो कि इस नियमावली के नियम 10 के द्वारा तय समय-सीमा के पश्चात दाखिल किये जायेंगे, उनको कार्यालय/सचिव के द्वारा जुमाने की राशि रु. 50/- (रूपये पचास मात्र) प्रतिमाह, जिसकी गणना इस नियमावली के नियम 10 के अंतर्गत ऐसे विलंबित आवेदन के जमा होने के माह की अंतिम तिथि के आधार पर की जाएगी, के बिना स्वीकार एवं प्रक्रिया में नहीं लिया जायेगा, परन्तु ऐसे विलंबित आवेदनों को जुमाने के प्रावधान के साथ भी छः (6) माह तक ही स्वीकार किया जा सकेगा।

12. अपूर्ण और दोषपूर्ण आवेदन:

ऐसी स्थिति में, जबकि प्राप्त आवेदन अपूर्ण/दोषपूर्ण हों, उक्त अधिवक्ता को कार्यालय द्वारा पत्र जारी करके ऐसी कमियों/दोषों के विषय में पंजीकृत डाक के द्वारा सूचना भेजी जाएगी तथा ऐसे आवेदनों को इन कमियों/दोषों के दूर होने के पश्चात ही प्रक्रिया में लिया जायेगा।

ऐसी कमियों/दोषों के दूर होने में लगने वाले समय को अधिवक्ता से विलम्ब शुल्क के रूप में 100/- प्रतिमाह की दर से वसूल किया जायेगा, यदि इस शुल्क को पर्याप्त कारण प्रदर्शित करने पर राज्य बार काउंसिल के अध्यक्ष/उपाध्यक्ष द्वारा माफ न कर दिया जाए।

13. प्रेक्टिस सर्टिफिकेट जारी करने/नवीकरण के लिए आवेदन पर आदेश:

प्रेक्टिस सर्टिफिकेट जारी करने/नवीकरण के लिए प्राप्त प्रत्येक आवेदन की इसकी प्राप्ति की तारीख से एक महीने की अवधि के भीतर कार्यालय द्वारा जांच की जाएगी और यदि सबकुछ नियमानुसार पाया जाता है, तो इसे प्रशासनिक समिति के समक्ष आवेदन को स्वीकृत करने अथवा अस्वीकृत करने का आदेश पारित करने हेतु आवेदक की व्यक्तिगत फाइल के साथ प्रस्तुत किया जायेगा।

ऐसे आवेदनों को सिर्फ तब ही अस्वीकृत किया जा सकता है जब यह पाया जाये कि उक्त अधिवक्ता ने विधिक प्रैक्टिस छोड़ दी है तथा इसे भविष्य में भी जारी रखने का उसका कोई सदाशयी अभिप्राय तथा रूचि नहीं है तथा इस नियमावली के अंतर्गत ऐसे अधिवक्ता को विधिक प्रैक्टिस न करने वाला अधिवक्ता माना जाये।

इस नियम के अंतर्गत कोई विपरीत आदेश पारित नहीं किया जा सकता जब तक कि आवेदक को सुनवाई का उचित अवसर प्रदान न किया जाए।

14. आपत्ति याचिका:

14.1 एक अधिवक्ता या कोई भी व्यक्ति राज्य बार काउंसिल के समक्ष किसी अधिवक्ता/अधिवक्ताओं के नाम विधिक प्रैक्टिस न करने वाले अधिवक्ताओं की सूची में जोड़ने हेतु इस आधार पर आपत्ति याचिका दायर कर सकता है कि उस अधिवक्ता ने विधिक-प्रेक्टिस छोड़ दी है तथा इसे भविष्य में भी जारी रखने का उसका कोई सदाशयी अभिप्राय तथा रूचि नहीं है।

14.2 अधिवक्ता अधिनियम की धारा 35 के तहत शिकायतों से संबंधित भारतीय बार काउंसिल नियमावली के खंड VII के अध्याय I नियम A. I (1) व नियम A. I (2), मूटाटीस मूटान्डीस (यथोचित परिवर्तनों सहित), इन आपत्ति याचिकाओं पर लागू होंगे, सिवाय इसके कि इन आपत्ति याचिकाओं के साथ एक रु. 1000/- की सुरक्षा राशि अदा करनी होगी, तथा अधिवक्ता अधिनियम की धारा 35 के तहत शिकायतों के लिए ऐसी किसी राशि का प्रावधान नहीं है।

14.3 ऐसे मामले में जहाँ राज्य बार काउंसिल आवेदक के पक्ष में एक प्रथम दृष्टया मामला पाती है; व इसे निर्णय हेतु प्रशासनिक समिति को भेज देगी।

14.3 राज्य बार काउंसिल की प्रशासनिक समिति इस तरह की आपत्ति का संबंधित अधिवक्ता की प्रैक्टिस सर्टिफिकेट जारी करने/नवीकरण के लिए आवेदन के साथ, यदि कोई हो, निर्णय तथा निपटान करेगी। यदि ऐसी कोई कार्यवाही लंबित नहीं हो, तो इस प्रकार की आपत्ति याचिका पर स्वतंत्र रूप से निर्णय लिया जाएगा।

इस नियमावली के अंतर्गत कार्यवाही पर अधिवक्ता अधिनियम की धारा 35 के तहत शिकायतों से संबंधित प्रक्रिया, मूटाटीस मूटान्डीस (यथोचित परिवर्तनों सहित), ही लागू होगी।

- 14.4. उस मामले में जहाँ शिकायत पीड़ित करने वाली, उपयोगशून्य तथा बुरी नीयत से की गयी पायी जाती है, आपत्ति याचिका के साथ अदा की गयी रु. 1000/- की सुरक्षा राशि राज्य बार काउंसिल द्वारा ज़ब्त कर ली जाएगी।

अध्याय V

अनुवर्ती कार्रवाई

15. नियम 13 के अंतर्गत पारित आदेश के लिए अनुवर्ती कार्रवाई:

- 15.1 सर्टिफिकेट ऑफ़ प्रैक्टिस को जारी करने/नवीकरण के आवेदन को नियम 13 के अंतर्गत स्वीकृत करने के पश्चात तत्काल; राज्य बार काउंसिल का कार्यालय सर्टिफिकेट ऑफ़ प्रैक्टिस/नवीकरण सर्टिफिकेट को दो प्रतियों में राज्य बार काउंसिल के अध्यक्ष द्वारा तथा उनकी अनुपस्थिति में राज्य बार काउंसिल के उपाध्यक्ष अथवा राज्य बार काउंसिल के किसी अन्य सदस्य के द्वारा, जो इसके लिए उचित रूप से अधिकृत हो, विधिवत हस्ताक्षर के साथ तैयार करेगा।
- 15.2 सर्टिफिकेट ऑफ़ प्रैक्टिस/नवीकरण सर्टिफिकेट की एक प्रति सम्बंधित अधिवक्ता को बिना किसी देरी के पंजीकृत डाक एडी द्वारा प्रेषित कर दी जाएगी तथा दूसरी प्रति अधिवक्ता की व्यक्तिगत फ़ाइल में लगा दी जाएगी।
- 15.3 राज्य बार काउंसिल, सारी जानकारी से युक्त एक अलग डिस्पैच रजिस्टर रखेगा जिसमें सर्टिफिकेट ऑफ़ प्रैक्टिस/नवीकरण सर्टिफिकेट के सभी विवरण, नामांकन के मूल प्रमाण पत्र तथा आयु, जन्मतिथि और पते के साथ अधिवक्ता के पूर्ण विवरण होंगे।
- इस रजिस्टर को राज्य परिषद द्वारा निर्धारित तरीके से वर्ष-वार रखा जाएगा।
- 15.4 प्रत्येक राज्य बार काउंसिल नियम 15.3 के अंतर्गत प्रतिवर्ष रखे गए रिकॉर्ड की एक प्रमाणीकृत सॉफ्ट कॉपी बार काउंसिल ऑफ़ इंडिया को भेजेगा।

अध्याय VI

आदेश **U/R 13** के तथा आवेदन करने में असफलता के परिणाम

16. नियम 13 के अंतर्गत आवेदन की अस्वीकृति का परिणाम:

नियम 13 के अंतर्गत आवेदन की अस्वीकृति की स्थिति में नियम 20.4. द्वारा निर्धारित परिणामों का पालन होगा।

17. नियम 7 से 11 द्वारा निर्धारित आवेदन करने में असफल होने के परिणाम:

कि यदि एक अधिवक्ता सर्टिफिकेट ऑफ़ प्रैक्टिस के प्रकाशन/नवीकरण के लिए आवेदन करने में असफल होता है, जैसा नियमों 8 से 11 के अंतर्गत प्रदान किया गया है, वैसी अवधि/विस्तृत अवधि के भीतर, या अगर वह अपने आवेदन में कमियों/त्रुटियों को हटाने में असफल होता है, नियम 12 के अंतर्गत 6 महीने की अवधि के लिए सूचना दिये जाने के बावजूद, तो यह प्रत्यक्षतः अनुमान कर लिया जायेगा कि ऐसा अधिवक्ता विधिक प्रैक्टिस छोड़ चुका है और इसे भविष्य में भी जारी रखने का उसका कोई प्रमाणिक अभिप्राय तथा रुचि नहीं है।

18. नियम 17 की सीमा में तथा "दोषी अधिवक्ताओं की सूची" के प्रकाशन के भीतर आने वाले अधिवक्ताओं, जो उत्तर देने में असफल होते हैं, के विरुद्ध अनुवर्ती कार्यवाही:

- 18.1 कि राज्य बार काउंसिल का ऑफिस, ऐसे दोषी अधिवक्ताओं की सूची बनायेगा, जो सर्टिफिकेट ऑफ़ प्रैक्टिस के जारी/नवीकरण का आवेदन करने में असफल हुआ/हुए हैं, ऐसी अवधि/विस्तृत अवधि के भीतर, जो इन नियमों द्वारा प्रदान किए गए अथवा 6 महीने की निर्धारित अवधि के भीतर सूचना दिए जाने के बावजूद अपने आवेदनों में से कमियों/त्रुटियों को हटाने में असफल हुए हैं।

इस सूची को "दोषी अधिवक्ताओं की सूची" का शीर्षक दिया जा सकता है।

- 18.2 ऐसे सभी अधिवक्ताओं को जिनके नाम "दोषी अधिवक्ता" सूची में सम्मिलित किये गए हैं, इस तथ्य की यथोचित सूचना दी जायेगी कि उनके नाम उपर्युक्त सूची में सम्मिलित हैं तथा इस सूची की अगली सूचना निम्नलिखित ढंग से भी दी जायेगी:

- i. ऐसी सूची की एक कापी बार काउंसिल के ऑफिस के बाहर प्रदर्शित की जायेगी;
- ii. ऐसी सूची की कापियाँ ऐसी डिस्ट्रिक्ट बार संघ/संघों को भी भेजी जाएँगी, जिनके सदस्य ऐसे अधिवक्ता उनके द्वारा अंतिम बार ज़ाहिर किये गये पते के अनुसार हैं, तथा साथ ही, सम्बद्ध उच्च न्यायालय/उच्चतम न्यायालय बार संघ को भी भेजी जाएँगी;
- iii. **एक सूचना पत्र** कि उसका नाम ऐसी सूची में सम्मिलित है, दोषी अधिवक्ता को भी उसके द्वारा अंतिम बार ज़ाहिर किये गये पते पर रजिस्टर्ड डाक के अंतर्गत भेजी जायेगी।
- iv. यह सूची विधि के अनुसार राज्य बार काउंसिल द्वारा भी **प्रकाशित** की जाएगी।

19. नियम 18 के अंतर्गत प्रकाशन के बाद विलंबित आवेदन:

यदि नियम 18 के खंड (iv) के अंतर्गत पूर्वकृत दोषी अधिवक्ता की सूची के प्रकाशन के 6 महीने की अवधि के भीतर सर्टिफिकेट ऑफ़ प्रैक्टिस के जारी/नवीकरण के लिये एक आवेदन राज्य बार काउंसिल द्वारा प्राप्त होता है, यह ऐसे विलंबित शुल्क तथा जुर्माने के साथ होगा, जैसे इन नियमों के नियम 10 से 12 द्वारा उल्लिखित हैं।

ऐसे सभी आवेदन ऑफिस द्वारा नियम 10 से 12 द्वारा निर्धारित कार्यविधि के अनुसार संसाधित किये जायेंगे तथा तत्पश्चात् ऐसे आवेदनों पर नियम 13 के अंतर्गत आदेश प्राप्त किये जायेंगे तथा इन नियमों के अनुसार ऐसे आदेश को अमल में लाया जायेगा।

20. उत्तर देने में असफल होने तथा "विधिक प्रैक्टिस न करने वाले अधिवक्ताओं की सूची" के प्रकाशन के परिणाम:

- 20.1 कि यदि इन नियमों के अंतर्गत सर्टिफिकेट ऑफ़ प्रैक्टिस के जारी/नवीकरण का कोई आवेदन नहीं किया गया है अथवा यदि एक आवेदन फाइल किया गया है परन्तु नियम 17 के अनुसार त्रुटियाँ नहीं हटाई गई हैं, तो इन नियमों के उद्देश्यों के लिए यह अनुमान कर लिया जायेगा कि ऐसा अधिवक्ता विधिक प्रैक्टिस छोड़ चुका है तथा इसे भविष्य में भी जारी रखने का उसका कोई प्रामाणिक अभिप्राय तथा रूचि नहीं है।
- 20.2 कि ऐसे "दोषी अधिवक्ताओं की सूची" के प्रकाशन के 6 महीने की अवधि की समाप्ति पर राज्य बार काउंसिल एक आदेश जारी करेगा, यह निर्देश देते हुए कि "दोषी अधिवक्ताओं की सूची" में आने वाले ऐसे अधिवक्ता/ओं के नाम/नामों को "विधिक प्रैक्टिस न करने वाले अधिवक्ता" की सूची में डाल दे।
- 20.3 कि "विधिक प्रैक्टिस न करने वाले अधिवक्ता" सूची की यथोचित सूचना निम्नलिखित को दी जायेगी:—
 - i. ऐसी सूची की एक कापी बार काउंसिल ऑफ़ इंडिया को तथा सभी अन्य राज्य बार काउंसिल को भेजी जायेगी।
 - ii. इस सूची की एक कापी राज्य बार काउंसिल की क्षेत्रीय सीमाओं के भीतर अवस्थित सभी न्यायालयों को भेजी जायेगी तथा सम्बंधित उच्च न्यायालय को भी भेजी जायेगी।
 - v. ऐसी सूची की कापियाँ उन डिस्ट्रिक्ट बार संघों को भी भेजी जाएँगी, जिनके सदस्य अधिवक्ता स्वयं द्वारा अंतिम बार घोषित किये गये पते के अनुसार हैं, तथा साथ ही, सम्बद्ध उच्च न्यायालय/उच्चतम न्यायालय बार संघ को भी भेजी जायेंगी।
- 20.4 विधिक प्रैक्टिस न करने वाले अधिवक्ताओं तथा उन अधिवक्ताओं के नाम जिनके सर्टिफिकेट ऑफ़ प्रैक्टिस के जारी/नवीकरण का आवेदन नियम 13 के अंतर्गत अस्वीकृत घोषित है, की सूची भी विधि के अनुसार राज्य बार काउंसिल द्वारा **प्रकाशित** की जायेगी, जबकि ऐसी सूची/नाम बार काउंसिल ऑफ़ इंडिया द्वारा स्वीकृत हों।

21. विधिक प्रैक्टिस न करने वाले अधिवक्ता जो "विधिक प्रैक्टिस न करने वाले अधिवक्ता" सूची में सम्मिलित हैं, विधिक प्रैक्टिस करने के अधिकारी नहीं हैं तथा अन्य विशेषाधिकारों तथा अधिकारों के अधिकारी नहीं हैं:

- 21.1 विधिक प्रैक्टिस न करने वाले अधिवक्ताओं की उपर्युक्त सूची के प्रकाशन की तारीख से ऐसे सभी अधिवक्ता जिनके नाम उपर्युक्त सूची में सम्मिलित किये गये हैं, किसी भी न्यायालय, किसी भी ट्रिब्यूनल अथवा प्रमाण लेने के लिए विधिक रूप से प्राधिकृत व्यक्ति तथा किसी अन्य प्राधिकारी अथवा व्यक्ति जिसके आगे ऐसा अधिवक्ता किसी भी विधि के द्वारा अथवा अंतर्गत, जो फ़िलहाल लागू हो, प्रैक्टिस करने का अधिकारी हो, उपस्थित होने के अधिकारी नहीं हैं, इस तथ्य के होते हुए भी कि ऐसे अधिवक्ताओं के नाम स्टेट सूची में प्रवेश किया/ये गये हैं तथा वह अधिवक्ता अधिनियम की धारा 22 के अंतर्गत नामांकन का सर्टिफिकेट धरे हुए है।

आगे, राज्य बार काउंसिल के चुनावों के उद्देश्यों के लिए ऐसे अधिवक्ता/ओं के नाम चुनावी सूची में सम्मिलित नहीं किये जायेंगे। ऐसा/से अधिवक्ता किसी बार संघ के सदस्य नहीं रहेंगे तथा आगे, बार संघों के किसी भी चुनाव में वोट डालने के अधिकारी नहीं होंगे।

ऐसे अधिवक्ता/ओं "अधिवक्ता/ओं की हैसियत से भाग लेने तथा लाभ पाने" की प्रतिष्ठा तथा अधिकार, जो बार काउंसिल ऑफ़ इंडिया के कल्याणकारी योजनाओं के अंतर्गत है, जो चैप्टर 2, जो कि बार काउंसिल ऑफ़ इंडिया के नियमों के भाग VI में हैं, के धारा IV-A के नियम 40 से 44 B के अंतर्गत है, तथा स्टेट आर काउंसिल द्वारा जारी की गई अन्य योजनाएँ, नियम 20.4 के अंतर्गत विधिक प्रैक्टिस न करने वाले अधिवक्ताओं की सूची/नाम के प्रकाशन की तारीख से समाप्त हो जायेंगे, इस को छोड़ कर कि ऐसा अधिवक्ता प्रासंगिक योजना/ओं के अंतर्गत ऐसे लाभों, यदि कोई है, जो पहले से ही उसके पक्ष में दिये जा चुके हैं, को पाने का अधिकारी होगा।

अध्याय VII

विधिक प्रैक्टिस करने वाले तथा न करने वाले अधिवक्ताओं के रिकॉर्ड का अद्यतन करना

22. विधिक प्रैक्टिस करने वाले तथा न करने वाले अधिवक्ताओं से सम्बंधित रिकॉर्ड:

- 22.1 कि नियम 20.4 के अंतर्गत ऐसे अधिवक्ताओं की सूची के प्रकाशन में उपर्युक्त ढंग से विधिक प्रैक्टिस न करने वाले अधिवक्ताओं की पहचान की प्रारंभिक प्रक्रिया के समापन पर राज्य बार काउंसिल ऐसे अधिवक्ताओं का सभी विशेष जानकारी के साथ जैसे नाम, पता, जन्म की तारीख, नामांकन की तारीख, नामांकन संख्या, सर्टिफिकेट ऑफ़ प्रैक्टिस के जारी/नवीकरण के लिए आवेदन की, और यदि है, तो उसकी अस्वीकृति की विशेष जानकारी, अलग से रिकॉर्ड बनायेगा तथा उसे बरकरार रखेगा। यह रिकॉर्ड नियमित रूप से अद्यतन किया जायेगा।
- 22.2 प्रत्येक राज्य बार काउंसिल बार काउंसिल ऑफ़ इंडिया को हर साल, रिकॉर्ड की एक प्रमाणित सॉफ्ट कॉपी, जैसा नियम 22.1 के अंतर्गत निर्वाह किया गया हो, भेजेगा।

23. राज्य बार काउंसिल की चुनावी सूचियों को चुनावों के उद्देश्य से अद्यतन करना:

नियम 20.4 के अंतर्गत विधिक प्रैक्टिस न करने वाले अधिवक्ताओं की सूची के प्रकाशन पर तथा नियम 22.2 के अंतर्गत ऐसे रिकॉर्ड की एक कॉपी बार काउंसिल ऑफ़ इंडिया को भेजने के बाद, बार काउंसिल ऑफ़ इंडिया के नियमों के अध्याय I, भाग-III के अंतर्गत राज्य बार काउंसिल, राज्य बार काउंसिल के चुनावों के लिए चुनाव सूची की तैयारी की प्रक्रिया को प्रारंभ करेगा। कोई भी राज्य बार काउंसिल चुनावी सूची की तैयारी अथवा राज्य बार काउंसिल के चुनावों का संचालन करने का उपक्रम तब तक नहीं करेगा जब तक कि इन नियमों के अंतर्गत विधिक प्रैक्टिस न करने वाले अधिवक्ताओं की पहचान की प्रक्रिया नियम 20.4 के अंतर्गत उनके नामों के प्रकाशन द्वारा समाप्त नहीं होती।

बशर्ते कि राज्य बार काउंसिल, जहाँ इन नियमों के प्रारंभ होने की तारीख पर अधिनियम की धारा 8A के अंतर्गत पहले से ही एक स्पेशल कमेटी/कमेटियाँ कार्यरत है/हैं, वर्तमान नियमों के अंतर्गत चलती रहेंगी जैसे कि ये नियम लागू ही नहीं किये गये हों। ऐसे राज्य बार काउंसिल में ये नियम केवल तभी लागू होंगे जब चुनावों के परिणामों के घोषित/प्रकाशित होने के पश्चात् नये राज्य बार काउंसिल का गठन किया गया हो।

अध्याय VIII

अपील, संशोधन आदि

24. अपील ट्रिब्यूनल:

- 24.1 प्रत्येक राज्य बार काउंसिल से सम्बंधित इन नियमों के अंतर्गत इन अपीलों के निपटान के लिये एक अपील ट्रिब्यूनल होगा तथा ऐसा ट्रिब्यूनल निम्नलिखित सदस्यों से गठित होगा:—
- बार काउंसिल ऑफ़ इंडिया के नियम 44 A(2)(i) के अंतर्गत भाग VI, अध्याय II, धारा-(IV A) के अंतर्गत राज्य बार काउंसिल द्वारा चुने गये राज्य बार काउंसिल के दो सदस्य।
 - राज्य बार काउंसिल ऑफ़ इंडिया के अध्यक्ष द्वारा नामांकित किये जाने वाले प्रबंधक कमेटी के सदस्यों में से राज्य बार काउंसिल का एक सदस्य तथा सम्बंधित राज्य बार काउंसिल से सदस्य, बार काउंसिल ऑफ़ इंडिया द्वारा नामांकित एक अन्य सदस्य।
 - सम्बंधित राज्य बार काउंसिल से बार काउंसिल ऑफ़ इंडिया का सदस्य तथा वह उसका अध्यक्ष होगा;

24.2 कि अपील ट्रिब्यूनल की निर्दिष्ट संख्या तीन सदस्य होगी परन्तु कोई भी अंतिम आदेश जारी नहीं किया जायेगा जब तक कि अपील ट्रिब्यूनल का अध्यक्ष उसका समर्थक न हो।

25. नियम 13/नियम 20.2 के अंतर्गत जारी किये गये आदेश के विरुद्ध अपील:

यदि एक अधिवक्ता के सर्टिफिकेट ऑफ़ प्रैक्टिस के जारी/नवीकरण के आवेदन को इन नियमों के **नियम 13** के अंतर्गत अस्वीकृत किया जाता है/या एक अधिवक्ता का नाम राज्य बार काउंसिल द्वारा "विधिक प्रैक्टिस न करने वाले अधिवक्ता" की सूची में नियम 20.2 के अंतर्गत सम्मिलित किये जाने का आदेश दिया जाता है, नियम 20.4 के अंतर्गत व्यथित पार्टी, आदेश जारी करने अथवा विधिक प्रैक्टिस न करने वाले अधिवक्ताओं की सूची के प्रकाशन के 60 दिनों की अवधि के भीतर, ऐसे आदेश के विरुद्ध अपील ट्रिब्यूनल से एक **अपील करना पसंद** कर सकता है परन्तु अपील फाइल करने में विलम्ब को अनदेखा किया जा सकता है, यदि ऐसे विलम्ब का उपयुक्त कारण दिखाया जाये।

ऐसी प्रत्येक अपील विवादित आदेश की एक अभिप्रमाणित कॉपी सहित दाखिल होगी। अपील को स्वीकार तथा उस पर ध्यान तब तक नहीं दिया जायेगा जब तक कि वह 1,000/- रुपये के शुल्क के साथ, जो कि बैंक ड्राफ्ट/अकाउंट पेयी बैंक चेक, जो सम्बंधित राज्य बार काउंसिल के सचिव, राज्य बार काउंसिल के पक्ष में है, के रूप में न हो।

1,000/- रुपये की राशि में से सचिव, राज्य बार काउंसिल 200/- रुपये की राशि बार काउंसिल ऑफ़ इंडिया के खाते में भेज/जमा कर देगा तथा इन नियमों के अंतर्गत "बार संघ के प्रोत्साहन के लिए कोष" के नाम से जाने हुए कोष में 160/- रुपये की राशि दे दी जायेगी।

ऐसी प्रत्येक अपील, अपील ट्रिब्यूनल द्वारा सुनी जायेगी, जो जैसा उपयुक्त लगे, वैसा आदेश इस पर जारी कर सकता है।

26. नियम 13 तथा नियम 19.2 के अंतर्गत आदेश के संचालन पर रोक:

नियम 13 तथा 20.2 के अंतर्गत जारी किये गये आदेश के विरुद्ध केवल अपील फाइल करने से जिस आदेश के विरुद्ध अपील की गयी है उसके संचालन पर रोक नहीं लगेगी जब तक कि अपील ट्रिब्यूनल द्वारा जो उचित लगे, ऐसे प्रतिबंधों के आधार पर उसके संचालन पर रोक न लगायी जाये।

27. संशोधन की क्षमता:

27.1 बार काउंसिल ऑफ़ इंडिया किसी भी समय इन नियमों के अंतर्गत किसी भी कार्यवाही के रिकॉर्ड का बुलावा दे सकता है, जो राज्य बार काउंसिल या अपील ट्रिब्यूनल द्वारा निपटा दिए गए हैं, तथा जिनमें से कोई अपील नहीं रहती, ऐसे आदेश अथवा निपटान की वैधता अथवा औचित्यता के सन्दर्भ में स्वयं की संतुष्टि के उद्देश्य के लिये तथा जैसा उचित लगे, इनसे सम्बंधित आदेश जारी कर सकता है।

यह संशोधन BCI नियमों के अभ्यास IX, भाग-II अर्थात् अधिवक्ता अधिनियम, 1961 के धारा 48A के अंतर्गत होगा।

27.2 कोई आदेश, जो किसी अधिवक्ता को पूर्वाग्रह रूप से प्रभावित करे, इस नियम के अंतर्गत जारी नहीं किया जायेगा जब तक कि उसे अपना पक्ष रखने का एक अवसर न दिया जाये।

अध्याय IX

प्रैक्टिस का पुनरारंभ

28. प्रैक्टिस का पुनरारंभ:

28.1 यदि एक अधिवक्ता जिसका नाम नियम 20.4 के अंतर्गत प्रकाशित "विधिक प्रैक्टिस न करने वाले अधिवक्ताओं की सूची" में सम्मिलित किया गया है, बदली हुई परिस्थितियों में विधिक प्रैक्टिस का पुनरारंभ करना चाहता है, वह राज्य बार काउंसिल को आवेदन दे सकता है कि उसका नाम ऐसी सूची में से निकाल दिया जाये।

28.2 पुनरारंभ के लिए आवेदन, फॉर्म ई में 3,000/- रुपये के पुनरारंभ शुल्क तथा फॉर्म एफ/फ में घोषणा के साथ किया जायेगा।

ऐसा आवेदन बार संघ, जिसका सदस्य अधिवक्ता विधिक प्रैक्टिस करने के लिये बनना चाहता है, के सभापति/सचिव द्वारा जारी किये गये फॉर्म जी में एक सर्टिफिकेट द्वारा समर्थित होगा।

28.3 राज्य बार काउंसिल पुनरारंभ के लिये ऐसे आवेदन को प्रशासनिक कमेटी के सुपुर्द करेगा, जो आवेदन को स्वीकृत अथवा अस्वीकृत करते हुए उचित आदेश जारी कर सकता है, बशर्ते ऐसा आवेदन केवल तभी मान्य होगा यदि प्रशासनिक कमेटी संतुष्ट होती है कि आवेदक का विधिक प्रैक्टिस पुनरारंभ करने का अभिप्राय प्रामाणिक है।

- 28.4 ऐसे मामले में कि पुनरारंभ स्वीकार किया जाता है, आवेदक का नाम "विधिक प्रैक्टिस न करने वाले अधिवक्ताओं" की सूची में से निकाल दिया जायेगा तथा नियम 20.3 के "विधिक प्रैक्टिस न करने वाले अधिवक्ताओं की सूची" की हैसियत से ऐसे अपवर्जन की यथोचित सूचना दी जाएगी तथा प्रकाशित की जायेगी।
- 28.5 कि नियम 28.4 के अंतर्गत प्रकाशन की तारीख से नियम 21 के अंतर्गत आवेदक द्वारा भुगती गयी सभी असमर्थताएँ अस्तित्व में नहीं रहेंगी परन्तु वह किसी भी ऐसे लाभ/विशेष अधिकार का अधिकारी नहीं होगा, जो उसे नियम 21 के अंतर्गत अस्वीकार कर दी गयी थी, उस अवधि के लिये जिसमें उसका नाम "विधिक प्रैक्टिस न करने वाले अधिवक्ताओं की सूची" में था।

अध्याय X

प्रैक्टिस कोष

29. प्रैक्टिस कोष:

- 29.1 इन नियमों के अंतर्गत बैंक ड्राफ्ट, जो सचिव राज्य बार काउंसिल के नाम से फाइल किये जाते हैं, के रूप में जमा किये गये सभी शुल्क जैसे शुल्क, नवीकरण शुल्क, विलम्ब शुल्क आदि के रूप में प्राप्त सभी राशियों के 80% को "राज्य बार काउंसिल प्रैक्टिस कोष खाता" कहा जायेगा तथा ऐसी प्राप्त राशियों का शेष 20% जिनसे सम्बंधित बैंक ड्राफ्ट्स/चेक्स सचिव, बार काउंसिल ऑफ़ इंडिया के नाम पर फाइल किये गए हैं, "BCI प्रैक्टिस कोष खाता" कहा जायेगा तथा संयुक्त रूप से इन कोष को "प्रैक्टिस कोष" कहा जायेगा।
- 29.2 कि "राज्य बार काउंसिल प्रैक्टिस कोष खाता" राज्य बार काउंसिल के अध्यक्ष तथा सचिव द्वारा संयुक्त रूप से संचालित किया जायेगा। उसी प्रकार, "BCI प्रैक्टिस कोष खाता" BCI अध्यक्ष तथा सचिव द्वारा संयुक्त रूप से संचालित किया जायेगा।
- 29.3 कि "राज्य बार काउंसिल प्रैक्टिस कोष खाता" का 20%, जो "प्रैक्टिस कोष" का 16% है, सीधे एक अलग कोष में डाला जायेगा जिसे "बार संघ के प्रोत्साहन के लिए कोष" के नाम से जाना जायेगा तथा राज्य बार काउंसिल इस कोष के प्रबंधन तथा व्यय के लिए उचित नियम बनायेगा, उसके अधिकार-क्षेत्र में आने वाले बार संघ के पक्ष में, उनके प्रतिनिधियों के साथ सलाह करके तथा इस मुखिया के अंतर्गत पड़े रहने वाली राशि को किसी भी ढंग से प्रयोग नहीं किया जायेगा जब तक कि ऐसा नियम लागू न हो जाये।
- 29.4 कि इस प्रैक्टिस कोष का अलग से ऑडिट ऐसे चार्टर्ड अकाउंटेंट्स द्वारा किया जायेगा जिन्हें राज्य बार काउंसिल तथा उनके सम्बंधित अकाउंटेंट्स की योग्यता से BCI द्वारा नियुक्त किया गया हो।
- 29.5 कि आवेदन शुल्क, नवीकरण शुल्क, विलम्ब शुल्क, तथा जुरमाने के लिये सभी भुगतानों, जो इन नियमों के अंतर्गत देय हैं, का केवल बैंक ड्राफ्ट्स/अकाउंट प्राप्तकर्ता बैंक चेक के द्वारा 80:20 के अनुपात में क्रमशः अध्यक्ष राज्य बार काउंसिल तथा अध्यक्ष बार काउंसिल ऑफ़ इंडिया के नाम पर भुगतान किया जायेगा।
- 29.6 कि इन नियमों के अंतर्गत इकट्ठा की गयी समस्त धनराशि को केवल निम्नलिखित उद्देश्यों के लिए प्रयोग किया जायेगा:—
- (a) इन नियमों के सम्बन्ध में उत्पन्न होने वाले प्रशासनिक तथा अन्य व्ययों का भुगतान करना;
- (b) विभिन्न बार संघ में केवल निम्नलिखित उद्देश्यों के लिए योगदान देना:—
- विधिक पुस्तकालयों को स्थापित करना तथा सुधार लाना।
 - बार संघ के परिसर, जो अधिवक्ताओं के सामान्य प्रयोग के लिये आरक्षित है, में बुनियादी ढाँचे में सुधार तथा ऐसे ही अन्य योगदान करना जिससे तालुक, डिस्ट्रिक्ट, उच्च न्यायालय, तथा उच्चतम न्यायालय के स्तर पर बार संघ को प्रोत्साहन तथा सुदृढता दी जा सके, जैसा उचित प्रतीत हो।
 - अधिवक्ताओं के लिए कल्याणकारी योजनाओं को प्रोत्साहित करना। ऐसी कल्याणकारी योजनाओं में अधिवक्ताओं तथा उनके परिवार में निर्भर सदस्यों से सम्बंधित सभी प्रकार की बीमा; पेंशन योजनायें, जूनियर तथा निःशक्त अधिवक्ताओं के लिये वजीफा, अधिवक्ताओं की निरंतर विधिक शिक्षा/प्रशिक्षण सम्मिलित हो सकती है।

अध्याय XI

विविध

30. कठिनाइयों का निवारण:

ऐसे मामले में जब इन नियमों के अर्थ, व्याख्या, क्रियान्वयन को लेकर कोई संदेह अथवा मतभेद उत्पन्न हो, अपील ट्रिब्यूनल इन समस्याओं को सुलझाने के लिए अन्तिम प्राधिकारी होगा तथा उन पर इसके निर्णय अन्तिम होंगे।

31. नियंत्रक क्षमतायें:

बार काउंसिल ऑफ़ इंडिया का राज्य बार काउंसिल के लिए समय-समय पर ऐसे नियंत्रकों को जारी करने का अधिकार होगा जो इन नियमों के उचित परिपालन तथा क्रियान्वयन के लिए आवश्यक है तथा ऐसे नियंत्रक राज्य बार काउंसिल के मूल विषय और भावना का पालन करेंगे जिससे समस्त देश में इन नियमों के अनुप्रयोग में समरूपता बनी रहे।

32. बार काउंसिल ऑफ़ इंडिया की तदर्थ कमेटियाँ बनाने की क्षमता:

ऐसे मामले में जब किसी राज्य बार काउंसिल के चुने हुए सदस्यों के कार्यकाल का इन नियमों के अंतर्गत विधिक प्रैक्टिस न करने वाले अधिवक्ताओं की पहचान होने की प्रक्रिया के विलंबित होने के कारण समाप्त हो जाने की सम्भावना है अथवा राज्य बार काउंसिल के चुनावों के लिए चुनावी सूची की तैयारी में विलम्ब होने के मामले में, बार काउंसिल ऑफ़ इंडिया एक तदर्थ कमेटी बनाएगा, जिसमें राज्य बार काउंसिल के सदस्य होंगे, जिससे राज्य बार काउंसिल सुचारू रूप से कार्य करे तथा उपर्युक्त प्रक्रिया का शीघ्रगामी क्रियान्वयन हो। राज्य बार काउंसिल की यह तदर्थ कमेटी अधिनियम के सेक्शन 8A के अंतर्गत बने स्पेशल कमेटी के अंतर्गत कार्य करेगी जब तक राज्य बार काउंसिल के चुनावों की प्रक्रिया के उद्देश्य के लिये बार काउंसिल ऑफ़ इंडिया के नियमों के अभ्यास। भाग-III के अनुसार चुनावी सूची की तैयारी की प्रक्रिया पूरी न हो जाये।

33. बचाव खंड

सर्टिफिकेट ऑफ़ प्रैक्टिस के स्वरूप जैसा कोई भी सर्टिफिकेट, जैसा इन नियमों में परिभाषित है तथा इनसे नवीकरण (राज्य बार काउंसिल द्वारा कोई भी नाम/हंग अथवा रूप द्वारा इन्हें जारी/प्रदान किया गया हो), जो किसी राज्य बार काउंसिल द्वारा प्रदान किया गया तथा राज्य बार काउंसिल द्वारा इसके सम्बन्ध में कोई अन्य कार्यवाही/आदेश जारी किया गया, इन नियमों के लागू होने से पहले, इसके जारी/नवीकरण की तारीख से पाँच साल की अवधि के लिए निरंतर वैध रहेगा परन्तु इस अवधि के समाप्त होने पर, राज्य बार काउंसिल द्वारा जारी किये गए ऐसे सर्टिफिकेट/लाइसेंस का इन नियमों के अंतर्गत नवीकरण कराया जाना आवश्यक है।

34. किसी राज्य बार काउंसिल अथवा बार काउंसिल ऑफ़ इंडिया द्वारा जारी किये/बनाये गए सभी प्रस्तावों/नियमों का रद्द होना।

जिस दिन से ये नियम लागू हुए हैं, किसी राज्य बार काउंसिल अथवा बार काउंसिल ऑफ़ इंडिया द्वारा जारी किया गया/बनाया गया कोई भी प्रस्ताव/नियम, जो इन नियमों के साथ असंगत है, रद्द माना जायेगा।

जे. आर. शर्मा, सचिव

[विज्ञापन III/4/असा./96/14]

BAR COUNCIL OF INDIA

NOTIFICATION

New Delhi, 29th October, 2014

Extracts of the minutes of the meeting of General Council of Bar Council of India held on 17th October, 2014.

Item No. 276/2014

(i) The Council considered the draft Rules in regard to Bar Council of India Certificate of Practice and Renewal Rules, 2014 and passed the following resolution:-

Resolution No. 169/2014

The Council resolves that the draft rules in regard to Bar Council of India Certificate of Practice and Renewal Rules, 2014 submitted by the Sub-Committee be and is hereby approved.

These rules have been framed in the exercise of powers conferred on it by Section 49(1)(ag), 49(ah) and 49(i) of the Advocates Act, 1961. It is further resolved that these rules shall be added as Part V-A of the Bar Council of India Rules with a titled Bar Council of India Certificate of Practice and Renewal Rules, 2014.

It is also noticed as per the decision taken under Item 274/2014 whereby the same Committee was requested to suggest amendments in Chapter I of Part-III of the Rules of Bar Council of India in order to weed-out the fake and bogus voters. The voter-list shall be prepared by the State Bar Councils with a photographs of Advocates. Accordingly, the sub-Committee suggested amendments in the Rule 1 and Rule 2 contain in Chapter I of Part-III of the Bar Council of India Rules respecting preparation of electoral roll, disqualification of membership and vacation of office.

Bar Council of India Certificate of Practice and Renewal Rules, 2014.

Statement of objects and reasons:

The legal profession is an honorable one and it has critical role to play in protecting and promoting the Civil and Constitutional rights of the people. An independent and fearless Bar is vital and crucial for sustaining and promoting a true and healthy democracy. The Bar which is subject to manipulation and influence from extraneous powers, howsoever mighty and esteemed they may be, cannot do justice either to the Legal Profession or to the Rule of Law. Bench and Bar are the two wheels of a chariot and one cannot function without the other. Sadly, this profession has fallen under a cloud.

In the Joint Meeting of the representatives of all State Bar Councils and Bar Council of India, concerns were raised by all that trend of Advocates switching over to other professions/services/business without any information to the State Bar Council has reached alarming proportions. This trend is endangering the legal profession as a whole. It has also made a dent in its sanctity and standards. Names of such advocates continue to be included in the "Roll of advocates" being maintained by the State Bar Councils, notwithstanding the fact that they have left the legal profession or have since died. Though under section 19 of the Advocates Act, the State bar Councils are under legal obligation to send a copy of the Roll of advocates prepared by it under section 17 of the Act and subsequent alterations/additions thereto but practically no state bar Council has observed this mandatory provision of the Act up till now.

Under these circumstances it appears that a definite trend is visible that the control of Bar Associations and of other elected bodies under the Advocates Act is slipping out of the hands of the advocates who practice law. It is also being experienced that after certificate of enrolment is issued to an advocate, practically no communicative and continuing contact survives between him and the Council unless some complaint is made against him.

Under the existing state of affairs, All India Bar Examination introduced on the directions/observations of the Supreme Court of India to improve the standard of legal profession has also failed to fully achieve its objective. Advocates enrolled with the State Bar Councils obtain "Provisional Certificate of Practice" (valid for 2 years) and thereafter most of them are practicing Law without caring to appear for All India Bar Examination and to pass it.

Various welfare schemes for advocates have been floated in India both under State Legislations as well as under various welfare schemes framed by different State Bar Councils and by Bar Council of India but benefits there-under are being enjoyed by those also who have left the profession.

There is also an urgent need for laying down some conditions for practicing law in different Courts so as to give due weightage and credence to experience. Before an advocate could practice law in higher Courts, there is need that he is exposed to real court experience in lower Courts/trial Courts. This will help in integrating the whole judicial system from the perspective of the Bar.

Therefore, in order to achieve better and effective administrative and disciplinary control of the local Bar Associations, State Bar Councils and the Bar Council of India over the advocates entered on the Rolls of advocates being maintained by different State Bar Councils under section 22 of the Advocates Act and further in order to weed out advocates who have left practice, the Bar Council of India, in the exercise of powers conferred on it by section 49(1) (ag), 49 (ah) 49(i) of the Advocates Act, 1961 and by all other enabling and residuary powers vested in it, is pleased to make the following rules titled " Bar Council of India Certificate of Practice and Renewal Rules, 2014" for the purposes of carrying into effect the provisions and objectives of the said Act:—

CHAPTER I

PRELIMINARY

1. Short Title:

These Rules shall be called as the Certificate of Practice and renewal Rules, 2014.

2. Extent:

These rules will be applicable to all the advocates whose names appear on the State Rolls being maintained by the State Bar Councils under section 17 of the Advocates Act, 1961.

3. Date of commencement:

These rules, except Rule 7 of Chapter III, shall come into force at once from the date of publication of these Rules in the Gazette of India. Rule 7 of Chapter III shall come into force on such date as the Bar Council of India may, by notification in the Gazette of India, appoint in this behalf.

4. **Definitions:**

- (a) **Act** means the Advocates Act, 1961.
- (b) **Advocate** means an advocate whose name is entered in the Roll of advocates being maintained by the State Bar Councils under section 17 of the Advocates Act, 1961.
- (c) **Certificate of Enrolment** means the certificate of enrollment held by an advocate issued under section 22 of the Advocates Act, 1961.
- (d) **Certificate of Practice** in relation to an advocate having obtained graduate degree in law before the academic year 2010 enrolled on the roll of Advocates shall mean Certificate of Practice issued under Rule 13 and in relation to an advocate graduating in law in academic year 2009-2010 (1st July, 2009 to 30th June, 2010) and thereafter, enrolled on or after 12th Day of June, 2010, Certificate of Practice means the “Certificate of Practice” issued under All India Bar Examination Rules or under Rule 13 of these Rules as the case may be.
- (e) **Practice Fund** means the amount received by the State Bar Councils under these rules on its own behalf and on behalf of the Bar Council of India and different Bar Associations situated within the territorial limits of the State Bar Council.
- (f) **State Bar Council** means the State Bar Councils as defined under section 3 (1) (a) of the Advocates Act, 1961.
- (g) **Practice Fee** means the amount/s payable under these rules as practice fee and this amount may be varied by the Bar Council of India from time to time and on such variation, the varied amount shall mean the fee.
- (h) **Bar Association** of a given area/town/city means an area/territory and court work based association of advocates, whether registered under the Societies Registration Act (Act No. XXI of 1860) or not having its area/territory defined in terms of the whole or part of the territorial jurisdiction of Courts/Tribunals/Persons or any other Authorities legally competent to take evidence before which its members ordinarily practice law and it includes Bar Association exclusively dealing in specific fields of law viz. Income Tax, Corporate law, Central/State Excise Law etc. in relation to the authorities/tribunals/boards etc. there-under.
- (i) **“Roll of advocates”** means “roll” as defined in the Advocates Act.
- (j) **“Administrative Committee”** shall mean a committee comprising of three members of the State Council, constituted by the State Bar Council by way of election, for discharging such functions and duties as are entrusted to it under these Rules. There may be more than one such Committee depending upon the work load of a particular State Bar Council.
- (k) **An non-practicing advocate** is an advocate who is so declared under Rule 13 and Rule 20.2 of these Rules and whose name stands published under Rule 20.4.
- (l) **All terms and phrases** used in these rules shall have the same meaning as they have under the Advocates Act, 1961, unless the context in which such words and phrases are used, expressly suggest to the contrary.

5. **Necessity of “Certificate of Practice”:**

An advocate shall not be entitled to practice law unless he holds a valid certificate of practice issued either under All India Bar Examination Rules or under these Rules.

This disability to practice law would come into force only when the name/names of such advocate/s is/are published under Rule 20.4.

CHAPTER II

LOCAL BAR ASSOCIATIONS

6. **Advocate to be a member of the Bar Association where he/she normally practices law:**

- 6.1 An advocate, after having obtained a Certificate of Enrollment under section 22 of the Advocates Act, 1961, is required to get himself registered as a member of the Bar Association where he ordinarily practices law or intends to practice law.
- 6.2 In case an advocate leaves one Bar Association and joins another by reason of change of place of practice or by reason of change of field of law, he/she shall intimate such change with all the relevant particulars to the State Bar Council, of which he is a member.
Such fact of leaving as well as of joining shall be independently intimated to the aforesaid said Bar Council within a period of one month.
- 6.3 Bar Associations to apply to the respective Bar Council within whose jurisdiction they are located, for being recognized under these rules. Recognition shall be accorded to such a Bar Association only which falls within the definition of Bar Association as defined in these rules.

CHAPTER III

MINIMUM EXPERIENCE REQUIRED TO PRACTICE BEFORE HIGHER COURTS OF LAW.

7. Conditions for practicing law in different Courts of law:

- 7.1 An advocate, enrolled on the roll of advocates after the enforcement of these Rules, after having obtained/renewed Certificate of Practice, shall be entitled to practice law only before such Courts of Law as are equivalent to Sessions Judge or District Judge and such other Courts in specific field/s of law that are exercising original jurisdiction in the matters covered by such fields of law and all other Courts which are subordinate to them.
- 7.2 An advocate, enrolled on the roll of advocates after the enforcement of these Rules, after having practiced law before Courts, Tribunals etc. mentioned in Rule 7.1 for a period of not less than two (2) years, shall be entitled to practice law before a High Court and such other Courts in specific fields of law that are exercising appellate or revisional jurisdiction in the matters covered by such fields of law and all other Courts which are subordinate to them.
- 7.3 An advocate enrolled on the roll of advocates after the enforcement of these Rules, after having practiced law before Courts of Law mentioned in Rule 7.2 for a period of not less than three (3) years shall be entitled to practice law before the Supreme Court of India subject to such other terms and conditions as may be in force In the Supreme Court of India.

CHAPTER IV

APPLICATIONS/ORDERS/OBJECTION PETITION WITH RESPECT TO GRANT/RENEWAL OF CERTIFICATE OF PRACTICE

8. Application for grant of "Certificate of Practice" by advocates enrolled on or before June 12, 2010:

- 8.1 An advocate graduating in law in academic year 2009-2010(1st July, 2009 to 30th June, 2010) and thereafter, enrolled on the "Roll of Advocates" on or after June 12, 2010, is required to apply for issuance of "Certificate of Practice" under All India Bar Examination Rules, 2010 and for renewal of such "Certificate of Practice" from the State Bar Council in which he/she is enrolled as an advocate under Rule 9.
- 8.2 An advocate having obtained graduate degree in law before the academic year 2010 enrolled on the "Roll of Advocates", is required to apply for issuance of "Certificate of Practice" from the State Bar Council in which he/she is enrolled as an advocate under this rule within a period of 6 months of the enforcement of these Rules/date of enrolment.
- 8.3 Every application for issuance of Certificate of Practice shall be submitted in the prescribed format as given in **Form A** annexed with these Rules disclosing all the necessary information as required there under to the State Bar Council, with which he/she is enrolled.
- 8.4 Every such application shall be accompanied by the following documents, certificates, declaration, fee etc.:—
- i. "Practice fee" in the sum of Rs. 5,00 (Rupees five hundred only) by way of Bank Drafts/Account payee bank cheque in the names of the following officials:—
 - a. Secretary State Bar Council, with which the applicant is enrolled for a sum of Rs. 400 (Rupees four hundred only);
 - b. Secretary, Bar Council of India for Rs. 100 (One hundred only).
 - ii. A declaration in the prescribed format as given in **Form B** annexed with these Rules;

- iii. Two passport size photographs duly attested by the President/Secretary of the Bar Association or by any other office bearer of the Association who is duly authorized for this purpose by the Bar Association, of which the applicant is a member, or by a member of the State Bar Council;
- iv. Certificate in **Form C** issued by the President/Secretary or by any other office bearer of the Association who is duly authorized for this purpose by the Bar Association, of which the applicant is a member, to the effect that the applicant advocate is a bona fide member of the concerned Bar Association and that he has not left law practice.

In case, the applicant has been a member of different Bar Associations at different times since the issuance of certificate of enrolment under section 22 of the Advocates Act, 1961, such certificates may be obtained from the Presidents/Secretaries of the different Bar Associations, of which the applicant remained a member, at different times.

In case, the certificate of enrolment under section 22 of the Advocates Act, 1961 was granted more than five (5) years prior to the date of application, such certificate/certificates needs to be confined only to a period of five (5) years.

- 8.5 That the aforesaid application may be filed by the applicant along with all the aforesaid documents either by hand in the Office of the State Bar Council against proper receipt or sent to the Secretary under registered post or through the Bar Association, of which he/she is a member.

9. Application for Renewal of Certificate of Practice:

- 9.1 The Certificate of Practice issued to an advocate under Rule 13 of these Rules or under All India Bar Examination Rules and renewal thereof, shall be valid for a period of five years (5) years only and is liable to be renewed every five (5) years by filing an application for renewal in advance within a period of six (6) months, before the validity period of “Certificate of Practice” or of its renewal, expires.
- 9.2. All such applications for renewal shall be filed in the format as given in **Form D** annexed with these Rules and it shall be accompanied by such documents, certificates, declaration, fee etc. as are mentioned in clauses (i), (ii) and (iv) of Rule 8.4 and the same may be submitted as per Rule 8.5.

10. Delayed application with late fee:

That all the applications for issuance/renewal of “Certificate of Practice” filed after the time fixed by rule 8/rule 9.1 of these Rules shall not be received by the Office/Secretary unless it is accompanied by late fee in the sum of Rs.50 (rupees fifty only) and such late applications would be entertained only for a period of six (6) months.

11. Delayed application for renewal with penalty clause:

That all applications for issuance/renewal of certificate of practice filed after the period fixed under rule 10 shall not be received and processed by the Office/Secretary unless it is accompanied by a penalty fee of Rs. 50 (rupees fifty only) per month reckoned from the last date on which such an application ought to have been made under Rule 10 of these Rules but such late application with penalty clause attached thereto would be entertained only for a period of six (6) months.

12. Incomplete and faulty applications:

That in case, the applications so received, are found to be incomplete/faulty, the Office shall intimate the concerned advocate of such shortcomings/defects by issuing letter under registered Post and such applications shall be processed further by the Office on removal of such shortcomings/defects.

The time taken to remove such shortcomings/defects by the concerned applicant may be counted towards late fee payable by the concerned advocate at the rate of Rs.1, 00/- per month unless it is waived by the Chairman/Vice-Chairman of the State Bar Council in case sufficient cause is shown for such delay.

13. Order on the application for issuance/renewal of Certificate of Practice:

That every application for issuance/renewal of certificate of practice so received shall be scrutinized by the Office within a period of one month from the date of its receipt and if found in order, it shall be placed along with the personal file of the applicant before the Administrative Committee, for passing the requisite order allowing or dismissing the application.

Such application is liable to be dismissed only in case it is found that the advocate has left law practice and that he/she has no bona fide intent and interest in continuing it in future also and such an advocate shall be treated as a non-practicing advocate under these Rules.

No adverse order can be passed under this rule unless a reasonable opportunity of being heard is afforded to the applicant.

14. Objection Petition:

- 14.1 An advocate or any person may file an objection petition before the State Bar Council seeking to add the name/names of an advocate/advocates in the List of Non-Practicing Advocates on the ground that such an advocate has left law practice and that he/she has no bona fide intent and interest in continuing it in future also.
- 14.2 Rule A. I (1) and rule A. I (2) of Chapter I of Part VII of the Bar Council of India Rules relating to complaints under section 35 of the Advocates Act shall, mutatis mutandis, apply to these objection petitions except that such objection petition shall be accompanied by a security amount of Rs.1,000 and not such fee as is prescribed in the aforesaid Rules relating to complaints under section 35 of the Advocate Act.
- 14.3 That in case the State Bar Council finds that there is a prima facie case in favor of the applicant; it shall refer it for decision to its Administrative Committee.
- 14.4 That the Administrative Committee of the State Bar Council shall decide and dispose of such an objection petition along with application for issuance/renewal of Certificate of Practice of the concerned advocate, if any. But if no such proceedings are pending, such objection petition shall be decided independently.
- Such procedure as is applicable to complaints under Section 35 of the Advocates Act shall apply, mutatis mutandis, to proceedings under this rule.
- 14.5 That in case the complaint is found to be vexatious, frivolous and mala fide, the security amount deposited with the objection petition shall be forfeited to the State Bar Council.

CHAPTER V**FOLLOW UP ACTION****15. Follow up action of order passed under rule 13:**

- 15.1 That immediately after the application for issuance/renewal of Certificate of Practice is allowed under Rule 13 of these Rules; the Office of the State Bar Council shall prepare the **Certificate of Practice/Renewal Certificate** in duplicate duly signed by the Chairman of the State Bar Council and in his absence by the Vice chairman of the State Bar Council or by such other member of the State Bar Council who is specifically authorized for the said purpose.
- 15.2 That one copy of such Certificate of Practice/Renewal Certificate shall be dispatched to the advocate concerned under registered Post AD without any delay and the other copy shall be kept in the personal file of the advocate.
- 15.3 That the State Bar Council shall maintain a separate Dispatch Register containing all the details as to the particulars of issuance/renewal of the certificate of practice, original certificate of enrolment and full particulars of the advocate as to age, date of birth and address.
- This Register shall be maintained year wise in such manner as may be prescribed by the State Council.
- 15.4 Every State Bar Council shall send to the Bar Council of India an authenticated soft copy of the record maintained by it under Rule 15.3 every year.

CHAPTER VI**CONSEQUENCES OF ORDER U/R 13 AND OF FAILURE TO MAKE APPLICATIONS****16. Consequence of dismissal of application under Rule 13:**

In the event of dismissal of application under Rule 13, such consequences as are laid down by Rule 20.4 would follow.

17. Consequences of failure to make application as stipulated by Rule 7 to 11:

That in case an advocate fails to make an application for issuance/renewal of Certificate of Practice within such period/extended periods as provided for under Rules 8 to 11 and in case he fails to remove the shortcomings/defects in his application despite intimation under Rule 12 for a period of 6 months, it shall, prima facie, be presumed that the such an advocate has left law practice and that he/she has no bona fide intent and interest in continuing it in future also.

18. Follow up action against advocates who fail to respond and fall within the ambit of Rule 17 and publication of "list of defaulting advocates":

- 18.1 That the Office of the State Bar Council shall prepare a list of such defaulting advocate/advocates who has/have failed to apply for issuance/renewal of Certificate of Practice within such period/extended

period as provided for by these Rules or have failed to remove shortcomings/defects in their applications despite intimation within the stipulated period of 6 months.

This list may be titled as the “**List of the Defaulting Advocates**”.

18.2 All such advocates whose name/names have been included in the list of “defaulting advocates” shall be given due notice of the fact that their name/names stood included in the above list and further notice of this list shall also be given in the following manner:

- i. One copy of such List shall be displayed outside the Office of the Bar Council;
- ii. Copies of such list shall also be sent to such District Bar Association/s to which such advocate/advocates belong as per the address last disclosed by him/her and also to the concerned High Court/Supreme Court Bar Association;
- iii. **A letter of intimation** that his/her name stands included in such list shall also be sent to the defaulting advocate at the address last disclosed by him/her under registered Post.
- iv. This List shall also be **published** by the State Bar Council as per law.

19. Late Applications after publication under Rule 18:

If an application for issuance/renewal of Certificate of Practice is received by the State Bar Council within a period of 6 months **of the publication** of the aforesaid list of defaulting advocates under Clause (iv) of Rule 18, it shall be accompanied by such late fee and penalties as are specified by rules 10 to 12 of these Rules.

All such applications shall be processed by the Office as per the procedure laid down by rule 10 to 12 and thereafter order on such applications shall be obtained under rule 13 and such order shall be given effect to as per these rules.

20. Consequences of failure to respond and publication of “list of non-practicing advocates:

20.1 That if no application for issuance/renewal of Certificate of Practice is made under these rules or if an application is filed but defects are not removed as per Rule 17, it shall be presumed for the purposes of these rules that such an advocate has left law practice and that he/she has no bona fide intent and interest in continuing it in future also.

20.2 That on the expiry of a period of 6 months of the publication of such “List of Defaulting Advocates”, the State Bar Council shall pass an order directing that the name/names of such advocate/advocates appearing “List of the Defaulting Advocates” be put in the list of “Non-Practicing Advocates”.

20.3 That due notice of the list of “Non-Practicing Advocates” shall be given to the followings:-

- i. One copy of such List shall be sent to the Bar Council of India and to all other State Bar Councils.
- ii. One copy of this list shall be sent to all the Courts situated within the territorial limits of the State Bar Council and also to the concerned High Court.
- iii. Copies of such list shall also be sent to such District Bar Association/s to which such advocate/advocates belong as per the address last disclosed by him/her and also to the concerned High Court/Supreme Court Bar Association;

20.4 The List of Non-Practicing advocates and name/names of advocates whose application for issuance/renewal of certificate of practice stands dismissed under Rule 13 shall also be **published** by the State Bar Council as per law after such list/name/names is/are approved by the Bar Council of India.

21. Non-practicing advocates as included in the list of “non-practicing advocates” not entitled to practice law and to other privileges and rights:

21.1 From the date of publication of the aforesaid list of non-practicing advocates, all such advocate/s whose name/names has/have been included in the aforesaid list, shall not be entitled to appear in any Court of Law, before any Tribunal or person legally authorized to take evidence and before any other authority or person before whom such advocate is by or under any law for the time being in force entitled to practice, notwithstanding the fact that name/names of such advocates is/are entered in the State Roll and that he is holding certificate of enrolment under section 22 of the Advocates Act.

Further, name/s of such advocate/s shall not be included in the electoral roll for the purposes of elections to the State Bar Councils. Such an advocate/s shall cease to be a member of any Bar Association and further he/she shall not be entitled to cast vote/s in any elections of the Bar Associations.

The status and rights of such advocate/s “as advocate/s entitled to participate and receive benefits” under Welfare Schemes of Bar Council of India created under Rules 40 to 44 B of Section IV-A of

Chapter II contained in Part VI of the Bar Council of India Rules and other schemes floated by the State Bar Council shall come to an end w. e. f. the date of publication of the List/name/names of Non-Practicing Advocates under Rule 20.4 with the exception that such an advocate would be entitled to receive such benefits under the relevant scheme/s, if any, which have already accrued in his/her favor.

CHAPTER VII

UPDATING OF THE RECORD OF PRACTICING AND NON-PRACTICING ADVOCATES

22. Record with respect to practicing and non-practicing Advocates:

22.1 That on culmination of the initial process of identification of Non-practicing Advocates in the aforesaid manner in the publication of the List of such advocates under Rule 20.4, the State Bar Council shall create and maintain a separate record of such Advocates with all particulars as to name, address, date of birth, date of enrolment, enrolment number, particulars of application for issuance/renewal of Certificate of Practice, if any, and of its dismissal. This record shall be updated regularly.

22.2 Every State Bar Council shall send to the Bar Council of India an authenticated soft copy of the record as maintained under Rule 22.1 every year.

23. Updating of the electoral rolls of the State Bar Council for the purposes of elections:

On the publication of list of non-practicing Advocates under rule 20.4 and after sending copy of such record to the Bar Council of India under Rule 22.2, the State Bar Councils shall start the process of preparation of electoral roll for elections to the State Bar Councils as per Chapter I, Part-III of the Bar Council of India Rules. No State Bar Council shall undertake to prepare electoral roll or to conduct elections to the State Bar Councils unless the process of identification of non-practicing advocates is completed under these Rules by publication of their names under Rule 20.4.

Provided that the election/s of the State Bar Council/s where a special committee/committees under section 8A of the Act is/are already functioning on the date of commencement of these rules, shall continue under the existing rules as if these rules have not been enforced. In such State Bar Councils, these Rules shall come into force only after the new State Bar Council is constituted on the declaration/publication of the results of the elections.

CHAPTER VIII

APPEAL, REVISION ETC.

24. Appellate Tribunal:

24.1 There shall be an Appellate Tribunal for disposal of appeals under these rules with respect to each State Bar Council and such Tribunal shall comprise of the following members:-

- i. Two Members of the State Bar Council elected by the State Bar Council under Rule 44 A(2)(i) of Bar Council of India Rules under Part VI, Chapter II, Section-(IV A).
- ii. One member of the State Bar Council from amongst the members of the Executive Committee to be nominated by the Chairman of the State Bar Council and another member nominated by the Member, Bar Council of India from the concerned State Bar Council.
- iii. Member of the Bar Council of India from the concerned State Bar Council and he shall be its Chairman;

24.2 That the quorum of the Appellate Tribunal shall be three members but no final order shall be passed unless the Chairman of the Appellate Tribunal is party thereto.

25. Appeal against order passed under Rule 13/Rule 20.2:

That in case the application of an Advocate for issuance/renewal of Certificate of Practice is dismissed under **Rule 13** of these Rules/in case the name of an Advocate is ordered to be included in the list of “non-practicing Advocates” by the State Bar Council under Rule 20.2, the aggrieved party may, within a period of 60 days of the date of passing of the order or publication of the list of non-practicing advocates under Rule 20.4, **prefer an appeal** against such order to the Appellate Tribunal but delay in filing the appeal can be condoned, if sufficient cause is shown for such delay.

Every such appeal shall be accompanied by an attested copy of the impugned Order. The appeal shall not be received and entertained unless it is accompanied by a fee of Rs.1,000 in the form of a Bank draft/Account Payee Bank Cheque favoring Secretary, State Bar Council of the concerned State Bar Council.

Out of this amount of Rs. 1000, the Secretary, State Bar Council shall send/ deposit remit a sum of Rs. 200 to the Account of the Bar Council of India and a sum of Rs. 160 shall be transferred to the fund known as “ Fund for Promotion Bar Associations” under these rules.

Every such appeal shall be heard by the Appellate Tribunal, which may pass such order there on as it deems fit.

26. Stay of operation of order passed under rule 13 and rule 19.2:

Mere filing of an appeal against order passed under rules 13 and 20.2 shall not operate to stay the operation of order appealed against unless its operation is stayed by the Appellate Tribunal on such conditions as it may deem fit.

27. Power of Revision:

27.1 The Bar Council of India may, at any time, call for the record of any proceeding under these Rules which has been disposed of by the State Bar Council or by the Appellate Tribunal, and from which no appeal lies, for the purpose of satisfying itself as to the legality and propriety of such order or disposal and may pass such orders in relation thereto as it may deem fit.

This revision shall be under Part-II, Chapter IX of BCI Rules viz. Section 48A of the Advocates Act, 1961.

27.2 No order which prejudicially affects any Advocate shall be passed under this Rule unless an opportunity of being heard has been afforded to him.

CHAPTER IX
RESUMPTION OF PRACTICE

28. Resumption of Practice:

28.1 If an advocate whose name has been included in the “list of non-practicing advocates” published under Rule 20.4, intends to resume law practice in the changed circumstances, he may apply to the State Bar Council that his/her name may be taken out of such list.

28.2 Application for resumption shall be made in Form E along with resumption fee of Rs.3, 000/- and declaration in Form F.

Such an application shall be supported by a certificate in Form G issued by the President/Secretary of the Bar Association, of which the applicant intends to become member for doing practice in law.

28.3 The State Bar Council shall refer such an application for resumption to the Administrative Committee which may pass an appropriate order allowing or dismissing such application provided that such an application shall be allowed only if the Administrative Committee is satisfied that the intent of the applicant to resume law practice is bona fide.

28.4 In case application for resumption is allowed, the name of the applicant shall be taken out of the list of the “non-practicing advocates” and such exclusion shall be duly notified and published as provided by rule 20.3 qua “list of non-practicing advocates”.

28.5 That from the date of publication under Rule 28.4, all disabilities suffered by the applicant under rule 21, shall not survive but he/she shall not be entitled for any benefits/privileges that were denied to him under Rule 21 for the period his/her name remained in the “list of non-practicing advocates”.

CHAPTER X
PRACTICE FUND

29. The Practice Fund:

29.1 80% of all the amounts received by way of fee, renewal fee, late fee, penalty fee etc under these Rules qua which bank drafts are filed in the name of the Secretary State Bar Council shall be called the “State Bar Council Practice Fund Account” and the remaining 20% of the amounts so received in respect of which bank drafts/cheques are filed in the name of the Secretary Bar Council of India shall be called the “BCI Practice Fund Account” and jointly these funds shall be called the “Practice Fund”.

29.2 That the “State Bar Council Practice Fund Account” shall be operated jointly by the Chairman and Secretary of the State Bar Council. Similarly “BCI Practice Fund Account” shall be operated jointly by the Chairman and Secretary BCI.

29.3. That 20% of the “State Bar Council Practice Fund Account” which comes to 16% of the “Practice Fund” shall be straightaway put under a separate fund to be known as “Fund for promotion of Bar Associations” and the State Bar Council shall frame appropriate Rules for the management and disbursement of this fund in favor of different Bar Associations falling within its jurisdiction in consultation with the representatives of such Bar Associations and the amount lying under this Head shall not be used in any manner till such rules come into force.

29.4 That this Practice Fund shall be separately audited by such Chartered Accountant as may be appointed by the State Bar Council and by BCI qua their respective accounts.

29.5 That all the payments towards application fee, renewal fee, late fee and penalties payable under these rules shall be paid by way of bank drafts/account payee bank cheques only in the ratio of 80:20 in the names of Secretary State Bar Council and Secretary Bar Council of India respectively.

- 29.6 That the all the amount collected under these rules shall be utilized for the following purposes only:—
- (c) To meet the administrative and other expenses arising in connection with these Rules;
- (d) To make contributions to different Bar Associations for the following purposes only:—
- i. Establishing and improving Law libraries.
 - ii. Improvement of infrastructure in the premises of the Bar Associations which is reserved for the common use of the advocates and to make such other contributions for promoting and strengthening the Bar Associations at the Taluka, District, High Court and Supreme Court levels as it may deem fit.
 - iii. To promote welfare schemes for advocates. Such welfare schemes may include insurance of all kinds with respect to the advocates and their dependent members of the family; pension schemes, stipends for junior and disabled advocates, continued legal education/training of advocates.

CHAPTER XI

MISCELLENOUS

30. Removal of difficulties:

In case of any doubt or dispute as to the meaning, interpretation, execution of these Rules arises, the Appellate Tribunal shall be the final authority to settle all such issues and its decision thereon shall be final.

31. Regulatory Powers:

The Bar Council of India shall have the right of issuing such regulations to the State Bar Council from time to time, as are necessary for the proper implementation and execution of these Rules and such regulations shall be complied with by the State Bar Council in letter and spirit so that uniformity is maintained in the application of these Rules throughout the Country.

32. Power of Bar Council of India to form Ad-hoc Committees:

In case the term of elected members of any State Bar Council is likely to expire/expires due to delay in the process of identification of non-practicing advocates under these rules or in case of delay in the reparation of the electoral roll for the elections to the State Bar Councils, the Bar Council of India shall constitute an ad-hoc Committee consisting of elected members of the State Bar Council for smooth running of the State Bar Council and for expeditious execution of the aforesaid process. This ad-hoc Committee of State Bar council shall function under the Special Committee constituted under Section 8A of the Act till the process of preparation of electoral roll as per Chapter I, Part-III of the Bar Council of India Rules for the purpose of elections to the State Bar Council is completed.

33. Saving clause

Any certificate of the nature of Certificate of Practice as defined in these Rules and renewal thereof (by whatever name/manner or form they may have been issued/granted by the State Bar Councils) granted by any State Bar Council and any other action/order passed by the State Bar Council in connection therewith, before the enforcement of these Rules shall continue to be valid for a period of five years from the date of its issuance/renewal, but on the expiry of this period, such certificate/license issued by the State Bar Council is required to be renewed under these Rules.

34. Repeal of all Resolutions/Rules passed/framed either by any State Bar Council or by Bar Council of India.

Any Resolutions/Rules passed/framed by any State Bar Council or by Bar Council of India, which are inconsistent with these Rules, shall stand repealed from the date on which these Rules come into force.

J. R. SHARMA, Secy.

[ADVT. III/4/Exty. /96/2014]